mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./आईटीसी/258/2024|398 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
आईटीसी लिमिटेड – एबीडी,
ऑफिस नं. 301, तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट जोन, सी 21 मॉल,
एनएच -12, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 17.12.2024।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन **आईटीसी लिमिटेड – एबीडी को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021** स्वीकृत की गई है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में निम्न अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मंडी के क्षेत्रांतर्गत **वाणिज्यिक संव्यवहार** की अनुमति चाही गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु -

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	भैंसदेही	"धान्य तथा दलहन" एवं "तिलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत **अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा** आईटीसी लिमिटेड – एबीडी के द्वारा नियम 2009 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021 मे उक्तानुसार आवेदन में किए गए अनुरोध - **वाणिज्यिक संव्यवहार** अनुमति की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल क्रय केन्द्रों की संख्या 63 तथा कुल वाणिज्यिक संव्यवहार केन्द्रों की संख्या 64 है। (परिशिष्ट-ब संलग्न है।) उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरुप बैंक गारंटी/ एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./आईटीसी/258/2024/399 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय________(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति________जिला________, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी आईटीसी लिमिटेड – एबीडी भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - ब

M/s ITC Limited ABD
Head Office - Virginia House 37 J.L. Nehru Road Kolkata 700071
Local Address -301 Third Floor Corporate Zone C-21 Mall Hoshangabad Road Misrod
Bhopal 462047
E-mail ID - kartikey.gupta@itc.in, subodh.deshpande@itc.in

GSTIN - 23AAACI5950L1ZI
विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021

वैधता अवधि - दिनांक 24/02/2026 तक

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
64	"तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन"	भैंसदेही	कृषि उपज मंडी समिति भैंसदेही	लागू नही।	लागू नही।	श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला मो. नं.-8839451300

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित आदेशानुसार)

सहायक संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल